राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 18461/2023

1. मेसर्स लोटस ऑर्गेनिक केयर, प्लॉट नं. एफ-419, रीको ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा (राजस्थान) प्रोप. श्री हरीश दाधीच पुत्र श्री गोविंदलाल जी दाधीच, निवासी मेसर्स लोटस ऑर्गेनिक केयर प्लॉट नं. एफ-419, रीको ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा।

2. श्री हरीश दाधीच पुत्र श्री गोविंदलाल जी दाधीच, आयु लगभग 40 वर्ष, प्रोप. मेसर्स लोटस ऑर्गेनिक केयर, प्लॉट नं. एफ-419, रीको ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्तागण/प्रतिवादीगण

बनाम

मेसर्स आधार प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, फैक्ट्री एफ-264, एफ-264-ए रीको औद्योगिक क्षेत्र गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) अधिकृत प्रतिनिधि नवनीत लढ़ा पुत्र श्री रमेशचंद्र जी लढ़ा, उम्र लगभग 24 वर्ष, वर्तमान में महाप्रबंधक के माध्यम से (वित्त और खाते).

----प्रतिवादीगण/वादी

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री दिव्यांशु चौधरी
		श्री विनीत आर दवे
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	डॉ. अशोक सोनी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		सुश्री सोनाली व्यास,
		श्री अमन सोनी
		श्री यश दाधीच और
		श्री रोमिल बागरेचा की सहायता से

माननीय श्री न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

16/05/2024

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका सिविल वाद संख्या 62/2022 (17/2018) में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मावली, जिला उदयपुर द्वारा पारित दिनांक 19.10.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (जिसे आगे '1999 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 124 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में उल्लेखित तथ्य वर्तमान रिट याचिका को जन्म देते हैं कि प्रतिवादी-वादी ने अपने पंजीकृत लेबल ट्रेडमार्क (1961814 और 2551769) के उल्लंघन और पासिंग ऑफ के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया है। प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर मुकदमे में, समन जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादी-वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमे में लिखित बयान दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 09.10.2022 को मुद्दे तय किए। इसके बाद, प्रतिवादी-वादी और याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा 23.02.2023 को एक अतिरिक्त मुद्दा तय किया गया। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा मुद्दों को तय करने के बाद, याचिकाकर्ता ने ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 की धारा 124 के तहत मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-वादी के ट्रेडमार्क संख्या 1961814 और 2551769 के खिलाफ सुधार आवेदन दायर करने का प्रस्ताव रखा है। आवेदन पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के वकील को सुना और दिनांक 19.10.2023 के आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 19.10.2023 को आदेश पारित करने में त्रुटि की है क्योंकि वर्तमान मामले में तथ्यों का मूल्यांकन करते समय धारा 124 (1) (ii) के विशिष्ट प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट का यह दायित्व था कि वह लिखित बयान में किए गए प्रस्तुतीकरणों के साथ-साथ धारा 124 के तहत प्रस्तुत किए गए आवेदन की वैधता के बारे में स्वयं को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करे, जो कि सुधार आवेदन और याचिकाकर्ता द्वारा उचित फोरम के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लिखित बयान के पैराग्राफ 2 और 2-4 में, याचिकाकर्ता द्वारा उचित फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सुधार आवेदन की वैधता की दलील के संबंध में बुनियादी आधार रखा गया है। इसलिए, उन्होंने दलील दी कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी-प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल किए गए ट्रेडमार्क की अमान्यता की दलील की प्रथम दृष्टया वैधता के संबंध में लिखित बयान में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का मूल्यांकन न

करते हुए एक गलती की है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और 19.10.2023 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और अपास्त किया जाए।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का पुरजोर विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है तथा सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष लिखित बयान में प्रस्तुत किए गए तर्कों की प्रथम दृष्टया वैधता धारा 124 (1) (ii) के दायरे में याचिकाकर्ता के मामले को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथा इसलिए, लिखित बयान में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क वादी-प्रतिवादी के ट्रेडमार्क की अमान्यता के संबंध में तर्कों की प्रथम दृष्टया वैधता के आदेश को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसे उपयुक्त फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सुधार आवेदन में शामिल किया जाना है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया है और सही रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उचित फोरम के समक्ष सुधार आवेदन की वैधता के संबंध में ट्रायल कोर्ट को प्रथम दृष्टया संतुष्ट करने के लिए ये पर्याप्त नहीं हैं।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि धारा 124 केवल उन मामलों में लागू होती है, जहां ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मुकदमा विचाराधीन है। वर्तमान मामले में, चूंकि वादी ने उल्लंघन के साथ-साथ ट्रेडमार्क के पारित होने का मुकदमा भी दायर किया है, इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वैकल्पिक रूप से प्रार्थना करते हैं कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को पारित होने की प्रार्थना के संबंध में तैयार किए गए मुद्दे पर मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए।

7. मैंने बार में किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है।

8. तथ्यों और मुद्दे की बेहतर समझ के लिए, 1999 के अधिनियम की धारा 124 (1) (ii) को पुन: प्रस्तुत करना उचित है, जो इस प्रकार है:

> "124. कार्यवाही पर रोक जहां ट्रेडमार्क के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, आदि-(1) जहां ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए किसी भी मुकदमे में-
>
> (क).....
>
> (ख).....

(i).....

(ii) यदि ऐसी कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और न्यायालय को यह विश्वास है कि वादी या प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अवैधता के बारे में दलील प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है, तो इस संबंध में एक मुद्दा उठाएं और मामले को मुद्दे के निर्माण की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित करें ताकि संबंधित पक्ष रजिस्टर में सुधार के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सके।

9. कानून के अधिदेश के अनुसार, विशेष रूप से धारा 124 (1) (ii) के अनुसार, यह ट्रायल कोर्ट पर निर्भर है कि किसी लंबित मुकदमे में, यदि धारा 124 के तहत कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो उसे प्रथम दृष्टया वादी/प्रतिवादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अमान्यता के संबंध में संतुष्ट होना होगा। ट्रायल कोर्ट को आवेदक की ओर से की गई दलीलों को ध्यान में रखना होगा ताकि वह इसकी वैधता के लिए प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो सके।

10. वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिखित बयान में की गई दलीलों पर ध्यान दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे वादी के ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अमान्यता के संबंध में मुद्दों को तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि लाने के लिए प्रथम दृष्टया उचित नहीं हैं और इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में की गई दलीलों को पुन: प्रस्तुत करना सार्थक है, विशेष रूप से पैराग्राफ 2 और 2-4, जो इस प्रकार है:

"2. यह है कि, वादी कम्पनी ने अपने वाद–पत्र को देरी से प्रस्तुत किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, जबकि प्रतिवादी वर्ष 2007 से ही अपने व्यवसाय कर रहा है और वादी कम्पनी की जानकारी में वर्ष 2012 से ही आ चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा Delite नाम से वॉशिंग पाउडर का व्यवसाय किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद महत्वपूर्ण तथ्यों का दोहराव छिपा कर कपटपूर्ण उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत ट्रेडमार्क का पंजीयन भी ट्रेडमार्क अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध असल स्थिति का छिपाव करते हुए प्राप्त किया है। वादी के ट्रेडमार्क का पंजीयन ही प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होता है। प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के प्रकाश में विधि का यह नियम सुस्थापित है कि, **जो वादी न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध स्रोत को कलंकित हाथों से छूता हैए वह अंतरिम या अंतिम किसी भी राहत का हकदार नहीं है।**

"2–4. यह है कि, वाद के पद संख्या 2, 3 व 4 में वर्णित तथ्य जिस तरह से घुमा–फिराकर अंकित किये है, अस्वीकार है। वादी कम्पनी डिसाईड नामक वॉशिंग पाउडर का उत्पादन व विपणन 2006 से कर रही हो, अस्वीकार है। वादी कम्पनी द्वारा डिसाईड वॉशिंग पाउडर का जिस पैकेजिंग में विपणन किया जाता है, उस पैकेजिंग का कलर कॉम्बिनेशन, डिजाईन इत्यादि भी अपना विशेष महत्व रखते है, परंतु वादी कम्पनी के प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कलर कॉम्बिनेशन, डिजाईन इत्यादि उपभोक्ताओं के मन–मस्तिष्क में एक विशेष छवि व साख बना चुके हो, पूर्णतया अस्वीकार है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के इन्टरनेट पर उपलब्ध डाटा बेस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादी वर्ष 2006 में प्रथमतः जो लेबल ट्रेडमार्क का अंगीकरण किया है, वह वाद में प्रस्तुत ट्रेडमार्क से भिन्न है। वादी द्वारा वर्ष 2006 में जो लेबल ट्रेडमार्क डिसाईड के पंजीकरण के आवेदन, प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये है, वह "Proposed to be used category" में किये है। वर्ष 2013 में भी वादी कम्पनी द्वारा जो फौजदारी प्रकरण दायर किया था उसमें वादी कम्पनी ने अपने किसी अन्य ट्रेडमार्क का उल्लंघन होना नहीं बताया है। इस प्रकरण के एक माह पश्चात् वादी कम्पनी ने प्रस्तुत वाद की विषयवस्तु ट्रेडमार्क संख्या आवेदन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा इस ट्रेडमार्क डिजाईन, कलर कॉम्बिनेशन इत्यादि 03.03.2006 से ही उपयोग करना पूर्णतया अस्वीकार है। वादी का यह कथन कि वर्ष 2006 से डिसाईड मार्क Uninterrupted and Continuous Use के कारण घर–घर पहचाना जा रहा है, अस्वीकार है। विधि के सुस्थापित नियमों के अनुसार किसी भी सामान्य प्रज्ञ व्यक्ति के लिए ट्रेडमार्क की ख्याति व प्रसिद्धि उसे लगातार, खुले एवं विस्तृत रूप से काम लेने पर ही प्राप्त होती है। वादी द्वारा समय–समय पर अपने लेवल ट्रेडमार्क डिसाईड को बदला गया है एवं रजिस्ट्रार द्वारा वादी के ट्रेडमार्क के सम्बन्ध में जो नियम व प्रतिबन्ध लगाये है, वह वादी को प्रदान पंजीकरण की परिसीमा तय करते है। वादी द्वारा उक्त ट्रेडमार्कों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। वादी के लेबल ट्रेडमार्क डिसाईड संख्या 1961814 एवं 2551769 का पंजीयन अवैध है व असल तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत वाद में जो Artistic Work कॉपीराईट नम्बर A–112252/2014 का आवेदन भी उक्त फौजदारी प्रकरण के पश्चात् किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद व्यापारिक ईर्ष्या के चलते व असल उपयोग के तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों से यह भली–भांति प्रमाणित है कि, वादी का कथन कि, डिसाईड मार्क के समान किसी भी मार्क को वादी कम्पनी के डिसाईड से जोडकर देखा जा सकता है व वर्तमान में देखा जा रहा है, पूर्णतया गलत एवं मिथ्या है।"

11. उपर्युक्त पैराग्राफों के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया यह दर्शाने के लिए दलीलें दी हैं कि प्रतिवादी-वादी के पक्ष में किया गया पंजीकरण अवैध है। विद्वान ट्रायल कोर्ट को केवल लिखित बयान में की गई दलीलों के संबंध में प्रथम दृष्टया खुद को संतुष्ट करने की आवश्यकता थी कि वादी का ट्रेडमार्क अवैध है। यदि ऐसी दलीलें दी जाती हैं, तो याचिकाकर्ता-प्रतिवादी

को याचिकाकर्ता के ट्रेडमार्क के खिलाफ सुधार के लिए आवेदन दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट की अनुमति लेने के लिए धारा 124 का लाभ प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। विद्वान ट्रायल कोर्ट को सुधार आवेदन की सफलता या विफलता के तथ्य को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य या अन्य कारकों की पर्याप्तता या अपर्याप्तता को मापने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि सुधार कार्यवाही एक अलग मंच पर की जानी आवश्यक है और इसके लिए पैरामीटर अलग-अलग आधार पर खड़े होंगे, इसलिए विद्वान ट्रायल कोर्ट को केवल वादी के ट्रेडमार्क की अमान्यता के समर्थन में की गई दलीलों के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता थी।

12. इस न्यायालय का यह भी मानना है कि धारा 124 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय, ट्रायल कोर्ट को सुधार आवेदन के समर्थन या विरोध में साक्ष्य के मूल्यांकन, जांच और विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल वादी/प्रतिवादी के ट्रेडमार्क की अमान्यता और प्रथम दृष्टया इसकी वैधता के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी है।

13. वर्तमान मामले में, यह न्यायालय संतुष्ट है कि उपर्युक्त पैराग्राफ में की गई दलीलें यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि धारा 124 के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाना आवश्यक था।

14. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और इसे अनुमति दी जाती है। दिनांक 19.10.2023 के आदेश को निरस्त कर अपास्त किया जाता है तथा उल्लंघन के लिए प्रार्थना के संबंध में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मावली, जिला उदयपुर के समक्ष लंबित वाद संख्या 62/2022 में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है तथा याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार सुधार आवेदन दायर करने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी जाती है।

15. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी-वादी द्वारा प्रस्तुत पासिंग ऑफ के संबंध में वाद की कार्यवाही उसके अंतर्गत तैयार किए गए मुद्दों पर जारी रहेगी।

16. स्थगन याचिका के साथ-साथ अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाएगा।

(विनीत कुमार माथुर),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।